प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 15/2023

अनवान : –

1. कमला पुत्री हेतराम पत्नी जगदीश जाति सुथार साकिन थालड़का तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती

अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **प्रार्थी**

राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 17/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 49/39 की कुल 16.2420 हैक्ट भूमि में से 1/54 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में चम्पा देवी पुत्री हेतराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम कमला पुत्री हेतराम है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकाड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम कमला दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थीया को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 49/39 की कुल 16.2420 हैक्ट भूमि में से 1/54 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का नाम चम्पा देवी पुत्री हेतराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम कमला है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का ढीलकी जाटान, भू0अ0नि0 गोगामेड़ी एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकाड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम कमला दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थीया के नाम के संबंध में ग्राम पंचायत थालड़का ने तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का के आधार पर प्रार्थीया का नाम कमला होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच की तस्दीक तथा तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एव पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 49/39 की कुल 16.2420 हैक्ट भूमि में से 1/54 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम चम्पादेवी पुत्री हेतराम दर्ज है के स्थान पर चम्पादेवी उर्फ कमला पुत्री हेतराम का संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच चम्पा पुत्री हेतराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का चम्पा पुत्री हेतराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम चम्पा पुत्री हेतराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को [illegible] प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/5/23 को प्रशासन गांव [illegible] अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : उज्जवास